भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 09A/2018-19

सुकलाल लेयांगी **बनाम** बबीता कान्डेयांग

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 1116 दिनांक 28.06.2018 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 09A/2018–19 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता श्री सुकलाल लेयांगी, पिता स्व0 चुडरु लेयांगी, ग्राम–मानिक बाजार, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावां ने पारिवारिक खर्च एवं ऋण परिशोधन हेतु क्रेता बबीता कान्डेयांग पिता स्व0 पिताम्बर कान्डेयांग, ग्राम–गेस्ट हाउस, वार्ड नं0–10, सरायकेला, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
मानिकबाजार	286	25	937	12.5डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता एवं अन्य के नाम से दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है। बिक्रेता के पास 0.89 एकड़ भूमि है, जिसमें से 12.5डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 76.5डी0 भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'मुन्डा' एवं 'हो' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में भूमि बिक्री करने के पश्चात् विक्रेता के पास भरण–पोषण हेतु काफी कम भूमि बच रही है। इसलिए भूमि बिक्री की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

10/08/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।